

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-2770 / 2013) / अलेसे-III / 2511

दिनांक :- 10.01.2022

कार्यालय आदेश

श्री सुभाष चन्द, क0 लेखाकार (दिव्यांग) कार्यालय अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.10(4)वित्त(ग्रुप-2)/76 दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अनुशंषा दिनांक 20.07.2021 के आधार पर एवं वित्त (नियम) विभाग के आदेश संख्या एफ.6(6)एफडी/रूल्स/2010 दिनांक 25.04.2012 के अनुक्रम में नियमानुसार मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 600/-) प्रति माह वाहन भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 20.07.2021 (चिकित्सा प्राधिकारी की अनुशंषा) से प्रभावी होगी।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-2770 / 2013) / अलेसे-III / 2511

दिनांक :- 10.01.2022

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।
2. कोषाधिकारी (शहर), उदयपुर।
3. श्री सुभाष चन्द, क0 लेखाकार कार्यालय अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।
4. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
5. पदस्थापन सीट / निजि / रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)